आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली

कार्यालय,
महाप्रबंधक (कार्मिक)

सं.एमसीएफ/अरबीएल/एए01/2020 दिनांक–06.10.2021

विषयः– तीसरे (3rd) बैच के दूसरी सूची के तहत अप्रेन्टिस प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल परिणाम की Merit cum verification list तथा Rejected अभ्यर्थियों की सूची।

उपरोक्त संदर्भ में दिनाँकः 28.10.2020 को कार्मिक विभाग आधुनिक रेल डिब्बा कारख़ाना, रायबरेली द्वारा जारी अधिसूचना सं. एमसीएफ/अरबीएल/एए 01/2020 तीसरे (3rd) बैच में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को उनके हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक (हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्तांक 50 % से कम न हो) के प्रतिशत के आधार पर बनाई गई मेरिट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची उनके अभ्यर्थिता एंव विभिन्न प्रपत्र कागजातों के सत्यापन (Candidature and document verification) हेतु निम्नवत जारी की जाती है। ये सभी प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी जिन्होने आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था पोर्टल पर दर्ज की गई प्रवृष्टियों के अनुसार भर्ती अनुभाग, कार्मिक शाखा, आधुनिक रेल डिब्बा कारख़ाना, रायबरेली मे उपस्थित हो।

क्र.सं	सत्यापन की तिथि	मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को बुलाने का क्रम
1.	19.10.2021	फिटर ट्रेड के मेरिट के अभ्यर्थी
2.	20.10.2021	इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के मेरिट के अभ्यर्थी
3.	21.10.2021	वेल्डर ट्रेड के मेरिट के अभ्यर्थी
4.	22.10.2021	फिटर, इलेक्ट्रिशियन एवं वेल्डर ट्रेड के सभी प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी

नोट :– उपरोक्त हेतु विभिन्न वर्गो में कट ऑफ मेरिट, Provisional merit cum verification list, Waiting List एंव Rejected अभ्यर्थियों की लिस्ट इत्यादि का विवरण निम्नवत हैः–

फिटर ट्रेड की मेरिट सूची ,प्रतीक्षा सूची एवं अस्वीकृत सूची क्रमशः	इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की मेरिट सूची, प्रतीक्षा सूची एवं अस्वीकृत सूची क्रमशः	वेल्डर ट्रेड की मेरिट सूची एवं,प्रतीक्षा सूची	कट ऑफ मेरिट	चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रोफॉर्मा	अजा. /आजजा. प्रमाण पत्र का प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रारूप	अपिव प्रमाण पत्र का प्रारूप केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रारूप
Annexure-A1, A2,A3	Annexure-B1, B2,B3	Annexure-C1, C2	Annexure-D	Annexure-E	Annexure-F	Annexure-G

अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देशः–

1. तीसरे (3rd) बैच के दूसरी सूची एक्ट अप्रेन्टिस प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की यह मेरिट कम सत्यापन सूची प्रोविजनल आधार पर जारी की गयी हैं। रेलवे बोर्ड के दिनाँक– 06.10.2015 के पत्र संख्या– E(MPP)/2009/6/14 में निहित शर्त तथा रेलवे बोर्ड के समय–समय पर प्राप्त हुए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
2. अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है, कि यह प्रोविजनल परिणाम कम सत्यापन की सूची केवल प्रशिक्षण कराने हेतु जारी की जा रही है नौकरी देने का कोई प्रावधान इसमें नही है प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल स्टाइपेन्ड दिया जायेगा।

06.10.21

3. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के चयन में, उनकी पात्रता संबंधी कोई प्रारम्भिक जाँच न करके, अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही अग्रिम कार्यवाही की गई है। यदि किसी भी स्तर पर पात्रता में कोई कमी पाई जाती हैं तो उसी स्तर पर अभ्यर्थी की पात्रता/उम्मीदवारी तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की समुचित धाराओं के अन्तर्गत/नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय अभ्यर्थी की ही होगी।

4. अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाइन पोर्टल पर की गई प्रवृष्टि से सम्बधिंत प्रपत्र तथा अधिसूचना में निहित शर्तो के अनुसार सारे प्रमाण–पत्र सत्यापन के समय उपलब्ध होने चाहिए अन्यथा संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

5. प्रोविजनल परिणाम कम सत्यापन सूची को अल्प समय की सूचना पर, (sms ,email आधुनिक रेल डिब्बा कारख़ाना, रायबरेली website द्वारा) अभ्यर्थिता के सत्यापन हेतु उपस्थित होने को तैयार रहना होगा। सत्यापन तिथियों में यदि बिना कारण बताए अभ्यर्थी अनुपस्थित होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी ।

6. अधिकांश अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र संबन्धित राज्य द्वारा जारी प्रारूप में उपलब्ध कराये हैं ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है की प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय जाति प्रमाण पत्र संलग्न अनुलग्नक– F एवं G के प्रारूप में लेकर आना सुनिश्चित करें।

7. प्रोविजनल परिणाम कम सत्यापन सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित चिकित्सीय जाँच (एंक्ट अप्रैन्टिस के तहत) में फिट होना अनिवार्य है। संबन्धित प्रोफॉर्मा अनुलग्नक– E के रूप में संलग्न है।

8. यद्धपि परिणाम कम सत्यापन सूची जारी किये जाने में सभी सावधानी बरती गई है, परन्तु फिर भी यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, तो उसमें सुधार करने का अधिकार आधुनिक रेल डिब्बा कारख़ाना, रायबरेली प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।

9. प्रोविजनल आधार पर चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से पूर्व RDSDE के वेबसाइट www.aprenticeship.gov.in पर पंजीयन कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

10. यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अप्रेन्टिसशिप नियम 1992 (15/07/1992 को अधिसूचित) के शेडयूल v(ii) के पैरा–10 के अनुसार प्रशिक्षण के उपरान्त भारतीय रेल अथवा आधुनिक रेल डिब्बा कारख़ाना, रायबरेली के द्वारा अप्रेन्टिसों को नौकरी देने की कोई बाध्यता नही होगा। प्रशिक्षत एक्ट अप्रेन्टिसों को सरकार द्वारा नौकरी देने की कोई जिम्मेदारी नही है। उम्मीदवार कृपया इस प्रावधान को भली भांति नोट कर लें ।(प्राधिकारः रेलवे बोर्ड का दिनांक 06.10.2015 का पत्र सं0– E(MPP) /2009/6/14) ।

06.10.21

उप. मुख्य कार्मिक अधिकारी

Annuxure- C2

MODERN COACH FACTORY, RAEBARELI

Provisional Waiting Cum Verification List (WELDER) 2nd List for 3rd Batch of Act Apprentices of MCF/RBL.

UR=01,SC=02, ST=01, OBC=04, (TOTAL= 08)

S.N.	CONTROL N.	NAME	FATHER NAME	BIRTH DATE	CAT.	Final Status
1	MCFITI012945	SHUBHAM PRAJAPATI	LALCHANDRA PRAJAPATI	04-02-2002	UR	URWL-1
2	MCFITI005423	GANESH	GORAKH	17-09-1999	SC	SCWL-1
3	MCFITI006179	GIRISH NARAYAN	UMESH GOND	15-07-1998	ST	STWL-1
4	MCFITI017720	DEEPAK PRAJAPATI	JAYRAM PRAJAPATI	10-03-1997	OBC	OBCWL-1
5	MCFITI015782	DILIP VISHVAKARMA	BECHAI VISHVAKARMA	03-02-1997	OBC	OBCWL-2

6.10.21

Dy. CPO.

MCF/RBL